

अवसर निधि का अवलोकन

- प्रतिभागियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रोजगार सहायता और सेवाएँ प्रदान करती है। एल्बर्टा के संपूर्ण केंद्रीय भूभाग में सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।
- सभी व्यक्तियों को किसी स्थायी शारीरिक या मानसिक विकलांगता से ग्रस्त होने के रूप में **आत्म-पहचान** करने की आवश्यकता है व उनकी आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- व्यक्तियों को पिछले पाँच वर्षों के लिए बेरोजगार होना आवश्यक है।
- व्यक्तियों को रोजगार हासिल करने के लिए स्थिर और प्रतिबद्ध होना चाहिए। प्रत्येक आवेदन की योग्यता के आधार पर उसके विषय में विचार किया जाता है।
- हम ऐसे व्यक्तियों के साथ कार्य करने में **असमर्थ** हैं,
 - जो पिछले 5 वर्षों में EI पर रहे हैं,
 - जिनके पास WCB का **सक्रिय** दावा है,
 - जो बीमा प्रदाता के माध्यम से विकलांगता-संबंधी लाभ प्राप्त कर रहे हैं,
 - या जो प्रांत द्वारा निधीकृत कार्यक्रमों या सेवाओं के लिए पात्र हैं।
- **अंतिम रूप से निधिकर्ता होना आवश्यक है।** अन्य सभी निधियों को इससे पहले समाप्त हो जाना चाहिए; हम अन्य निधिकर्ताओं और सेवा-प्रदाताओं के साथ सहयोग में काम कर सकते हैं। प्रतिभागियों को इन बातों में सहायता दी जा सकती है;
 - रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से कुशलताओं को अपग्रेड करना या प्रशिक्षण लेना,
 - प्रशिक्षण के लिए संपूरक लागतों का भुगतान करना। यानि: पुस्तकें, परिवहन, दिवसकालीन देखभाल आदि,
 - रोजगार से सीधे संबंधित एकबारगी शुल्क, जैसे विशिष्ट कपड़ों की आवश्यकताएँ, आरंभिक परिवहन के लिए शुल्क या आरंभिक बाल-देखभाल शुल्क, आदि,
 - रोजगार या प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रतिभागी के अनुकूल उपकरण,
 - और/या प्रतिभागियों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने की कुछ लागतों की भरपाई के उद्देश्य से कार्य-नियोक्ताओं के लिए वेतन सब्सिडी।

और अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

अवसर निधि कार्यक्रम @ 403-343-6249 या 1-877-643-6249